



AN ISO - 9001: 2015  
& ISPS COMPLIANT PORT

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट  
COCHIN PORT TRUST  
यातायात विभाग

TRAFFIC DEPARTMENT  
Willington Island, Cochin - 682 009

Phone: +91 (484) 2582200  
Fax: +91 (484) 2666418  
e-mail: tm@cochinport.gov.in  
www.cochinport.gov.in



संख्या-ए3/एफ15/2021/टी

दि.11.11.2021

व्यापार सूचना संख्या 15/2021  
बर्थिंग नीति - प्रदर्शन मानदंड आधारित प्रोत्साहन और जुर्माना योजना

1. महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) जी.सं.520 दिनांक 28.10.2021 के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2016 में जारी किए गए बर्थिंग नीति के तहत पाइपलाइनों के माध्यम से हस्तन किए गए सीमेंट और सीओटी, एनटीबी और एसटीबी में हस्तन किए गए नेपथा और पीओएल उत्पादों के लिए - एचएसडी, एमएस के लिए कोचिन पोर्ट में कार्गो परिचालन हेतु संशोधित 'प्रदर्शन मानदंड आधारित प्रोत्साहन और जुर्माना योजना' को अधिसूचित किया है।
2. प्रोत्साहन और जुर्माना योजना के तहत सामग्रियों के लिए प्रति घंटे उत्पादकता के आधार पर निम्नलिखित प्रदर्शन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

निष्पादन मानदंड

क्र.सं.	कार्गो विवरण	उत्पादकता मानदंड
1.	पीओएल उत्पाद-एचएसडी, एमएस एवं नेपथा- सीओटी, एनटीबी एवं एसटीबी में हस्तन किए गए	
	(i). एचएसडी	1050 टन / घण्टा
	(ii). एमएस	600 टन / घण्टा
	(iii). नेपथा	750 टन / घण्टा
2.	पाइपलाइनों के माध्यम से हस्तन किए गए सीमेंट	230 टन / घण्टा/पएण्ट

3. प्रोत्साहन/जुर्माना
  - (i) पोत के बर्थ पर ठहरने के लिए निर्धारित समय की गणना ऊपर उल्लिखित निर्धारित निष्पादन मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
  - (ii) (ए) पूर्वारंभ और समाप्ति उपरांत की औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय 6 घंटे के रूप में माना जाएगा।  
(बी) एकाधिक पीओएल उत्पाद धारक जहाजों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त ग्रेड कार्गो के लिए अतिरिक्त दो घंटे पूर्वारंभ और समापन की औपचारिकताओं के लिए विचार किया जाएगा।
  - (iii) एकाधिक सामग्रियों के हस्तन करने वाले जहाजों के लिए, मानक बर्थ घंटे की गणना निम्नानुसार की जाएगी:  
(ए) एकल सामग्री हस्तन के समय के लिए- सामग्री के लिए लागू प्रदर्शन मानदंड।  
(बी) एकाधिक सामग्रियों के समवर्ती संचालन के समय के लिए - एक साथ हस्तन किए जाने वाली सामग्रियों के लिए लागू प्रदर्शन मानदंडों का योग।

- (iv) बर्थ पर निर्धारित समय को प्राप्त करने में विफलता या सफलता के लिए, नीचे दी गई तालिका के अनुसार जुर्माना/प्रोत्साहन लागू होगा:

क्र.सं.	नियामक घंटों से अधिक वास्तविक बर्थ घंटों के लिए जुर्माना		प्रोत्साहन (संचित बर्थ घंटों के लिए)	
	जहाज की वास्तविक कार्य अवधि (वर्किंग बर्थ पर बर्थिंग के बीच जहाज के संचालन के पूरा होने तक का समय)	जुर्माना	जहाज की वास्तविक कार्य अवधि (वर्किंग बर्थ पर बर्थिंग के बीच जहाज के संचालन के पूरा होने तक का समय)	प्रोत्साहन
1	निर्धारित समय के 5% के मध्य	शून्य	निर्धारित समय के 5% के मध्य	शून्य
2	निर्धारित समय के 5% से 15% से अधिक	1.0 x बर्थ किराया	निर्धारित समय के 5% से 15% से कम	0.5 x बर्थ किराया
3	निर्धारित समय के 15% से अधिक	2.0 x बर्थ किराया	निर्धारित समय के 15% से कम	1.0 x बर्थ किराया

- (v). उपरोक्त तालिका में निर्धारित जुर्माना जहाज के कार्गो संचालन को पूरा करने के लिए, लिए गए अतिरिक्त घंटे (अर्थात वास्तविक घंटे - नियामक घंटे) के लिए लगाया जाएगा। संचय किए गए प्रत्येक अतिरिक्त घंटे अर्थात सामान्य घंटे - वास्तविक घंटे के लिए प्रोत्साहन देय होगा।

- (vi). जुर्माना/प्रोत्साहन की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक जहाज द्वारा प्राप्त वास्तविक निष्पादन की गणना में, निम्नलिखित कारणों से संचालन के ठहराव को बाहर रखा जाना है:

(ए) सुरक्षित नौकायन के लिए ज्वार, ड्राफ्ट आदि की प्रतीक्षा कर रहे जहाजों का कोई भी ठहराव जैसा कि उप संरक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(बी) पोर्ट के पायलट की आपूर्ति में देरी और टॉंग की अनुपलब्धता आदि के कारण जहाज के नौकायन में कोई देरी।

(सी) मौसम संबंधी ठहराव और देरी।


(डी) जहाजों के स्थानांतरण के कारण ठहराव और देरी

(ई) पोर्ट द्वारा अधिकृत बंकरों, मरम्मत आदि के लिए जहाज का कोई भी विस्तारित ठहराव।

(एफ) ड्राफ्ट सर्वेक्षण के लिए अधिकतम 30 मिनट की अवधि तक लगने वाला समय।

(जी) बर्थ पर उपलब्ध उपकरणों का ब्रेक-डाउन/अनुपलब्धता।

4. ऊपर विनिर्दिष्ट संशोधित 'प्रदर्शन मानदंड आधारित प्रोत्साहन और जुर्माना योजना' भारत के राजपत्र में 28.10.2021 को अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 27.11.2021 से प्रभावी होगी और एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा जी.सं.520 दिनांक 28.10.2021 द्वारा जारी योजना की प्रति, संदर्भ के लिए पोर्ट की वेबसाइट पर ऑपलोड की गई है।

  
यातायात प्रबंधक  
15.11.2021

सेवा में,

1. बीपीसीएल/आईओसीएल/एचपीसीएल

2. अंबुजा सीमेंट्स/अल्ट्राटेक सीमेंट्स/जुआरी सीमेंट्स/पेन्ना सीमेंट्स

प्रति: उप संरक्षक/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी), कार्यालय की वेबसाइट में व्यापार सूचना ऑपलोड करने हेतु

हिन्दी अनुभाग-अनुवाद हेतु।